



नीलामी सूचना

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनः एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का कर्मांक 54) के अन्तर्गत बैंक को बंधक अवचल सम्पत्तियों नीलामी द्वारा विक्रय की जायेगी। जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नोटिस दिया जा चुका है और तत्पश्चात उनके द्वारा बैंक ऋण अदा कर सकने में असमर्थ रहने पर निम्नांकित बंधक सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा भी बैंक द्वारा ले लिया गया है और अब नीचे लिखित सम्पत्तियों को जैसा है जहाँ है (As is where is basis) के आधार पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) व 9 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक के विक्रय के लिए निर्णय लिया है।

शाखा का नाम	सम्पत्ति स्वामी का नाम एवं ऋणी का नाम	सम्पत्ति का विवरण	माँग नोटिस की तारीख तथा देय राशि	देय राशि	न्यूनतम रिजर्व मूल्य	अर्नेस्ट राशि	कब्जा की तारीख	नीलामी का दिनांक, समय व स्थान
पचपेड़वा तुलसीपुर (बलरामपुर)	संपत्ति स्वामी (गारंटर): श्री नूर उल हुडा पुत्र मो० अमीन ऋणी— मो० कलीम पुत्र श्री नूर उल हुडा (90221B00039181) गारन्टर: 1. श्री नूर उल हुडा पुत्र मो० अमीन 2. मो० शाहिद पुत्र श्री फारुख अहमद	एक किता आवासीय मकान (सम्पूर्ण निर्माण सहित), निकट बरगदवा सैफ, परगना व तहसील—तुलसीपुर, जिला— बलरामपुर। जिसका क्षेत्रफल 769.89 वर्गमीटर है उक्त प्रॉपर्टी के हक् विलेख उप निबंधक तुलसीपुर, बलरामपुर के बही सं० 1 जिल्द सं० 1320 पृष्ठ सं० 271 से 288 क्रम सं० 264 दिनांक: 15.01.2005 पर दर्ज है।	दिनांक 23.12.2022 अविवरित डिमांड नोटिस पेपर पब्लिकेशन देय राशि Rs. 2629429 + ब्याज + अन्य (खर्चें — वसूली यदि हो तो	Rs. 2629429 + ब्याज + अन्य (खर्चें — वसूली यदि हो तो	Rs. 3250000/-	Rs. 325000/-	16-03-2023	दिनांक % 12—10—2023 (बृहस्पतिवार) समय: अपराह्न 12.00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक स्थान: प्रथमा यू पी ग्रामीण बैंक) पचपेड़वा तुलसीपुर (बलरामपुर)। पता: पचपेड़वा बलरामपुर।
देवीपाटन (बलरामपुर)	ऋणी: मेसर्स सदीप रेडियो, प्रो. श्री वासुदेव मोहन कौशल पुत्र श्री काशीराम कौशल (90118700000141) गारन्टर: 1. श्री सीताराम पुत्र श्री राम लौटन	एक किता आवासीय प्लॉट (सम्पूर्ण निर्माण सहित), वार्ड संख्या —12, परगना व तहसील—तुलसीपुर, जिला— बलरामपुर। जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट है उक्त प्रॉपर्टी के हक् विलेख उप निबंधक तुलसीपुर, बलरामपुर के बही सं० 1 जिल्द सं० 909 पृष्ठ सं० 81 से 100 क्रम सं० 4910 दिनांक: 15.11.2002 पर दर्ज है।	दिनांक 03/08/2022 देय राशि Rs. 814606 /— + ब्याज + अन्य (खर्चें — वसूली यदि हो तो	Rs. 814606 /— + ब्याज + अन्य (खर्चें — वसूली यदि हो तो	Rs. 1215000/-	Rs. 121500/-	07.11.2022	दिनांक : 27.09.2023 (बुधवार) समय: अपराह्न 12.00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक स्थान : प्रथमा यू पी ग्रामीण बैंक) देवीपाटन तुलसीपुर। पता: देवीपाटन, तुलसीपुर) बलरामपुर।
देवीपाटन (बलरामपुर)	संपत्ति स्वामी (गारंटर)— श्री एहसानुल्लाह खान पुत्र श्री अब्दुल बरी ऋणी: मेसर्स किसान ट्रेक्टर, प्रो. श्री सुहेल अहमद पुत्र अब्दुल हसन (90118700000451) गारन्टर: 1. श्री एहसानुल्लाह खान पुत्र श्री अब्दुल बरी 2. श्री अब्दुल अहद खान पुत्र श्री अब्दुल हय	एक किता आवासीय प्लॉट (सम्पूर्ण निर्माण सहित), गाटा संख्या—315, ग्राम—शीतलापुर देहात, परगना व तहसील—तुलसीपुर, जिला— बलरामपुर। जिसका क्षेत्रफल 625 वर्गफुट है उक्त प्रॉपर्टी के हक् विलेख उप निबंधक तुलसीपुर, बलरामपुर के बही सं० 1 जिल्द सं० 2060 पृष्ठ सं० 303 से 312 क्रम सं० 4812 दिनांक: 19.09.2008 पर दर्ज है। संपत्ति मालिक— श्री एहसानुल्लाह पुत्र श्री अब्दुल बरी (गारंटर)	दिनांक 18.11.2021 देय राशि Rs. 475327 /— + ब्याज + अन्य खर्चें — वसूली यदि हो तो	Rs. 475327 /— + ब्याज + अन्य खर्चें — वसूली यदि हो तो	Rs. 1359000/-	Rs. 135900/-	15.03.2022	दिनांक : 27.09.2023 (बुधवार) समय: अपराह्न 12.00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक स्थान: प्रथमा यू पी ग्रामीण बैंक) देवीपाटन तुलसीपुर। पता: देवीपाटन, तुलसीपुर) बलरामपुर।

सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण / अन्य जानकारी सम्बन्धित शाखा के पास उपलब्ध है।
नियम एवं शर्तें : (1) उक्त सम्पत्ति ऊपर दिये गये रिजर्व मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी तथा बोलीदाता 5000 के गुणक में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकेंगे, नीलामी पूर्ण होने पर उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जायेगा (2) खाता सं० 90222B00039181 के लिये नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अर्नेस्ट धनराशि प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक, शाखा पचपेड़वा, तुलसीपुर, बलरामपुर के पक्ष में देय भुगतान आदेश / माँग ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ई०एम०डी०) के रूप में शाखा प्रबन्धक पचपेड़वा दूरभाष क्रमशः 7217029022 के पास दि० 11.10.2023 तक प्रातः 10:00 से सायं 4:00 बजे तक जमा करना होगा। और खाता सं० 90118700000141 — 90118700000451 के लिये नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अर्नेस्ट धनराशि प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक शाखा देवीपाटन तुलसीपुर, बलरामपुर के पक्ष में देय भुगतान आदेश / माँग ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ई०एम०डी०) के रूप में शाखा प्रबन्धक देवीपाटन दूरभाष क्रमशः 7217029011 के पास दि० 26.09.2023 तक प्रातः 10:00 से सायं 4:00 बजे तक जमा करना होगा। (3) नीलामी समापन समय पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोली की 25 प्रतिशत राशि भुगतान आदेश / माँग ड्राफ्ट द्वारा प्रारम्भिक डिपोजिट के रूप में जमा करानी होगी अन्यथा उसकी ई०एम०डी० जब्त कर ली जायेगी। अदा की गयी ई०एम०डी० प्रारम्भिक भुगतान राशि में समायोजित कर दी जायेगी। असफल बोली कर्ताओं की ई०एम०डी० नीलामी के समय पर ही लौटा दी जायेगी। (4) बोली की शेष राशि विक्रय की स्वीकृति के पश्चात 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गयी प्रारम्भिक डिपोजिट राशि जब्त कर ली जायेगी और विक्रय की पुष्टि नहीं की जायेगी। (5) जिस सम्पत्ति के लिए केता अपनी ऑफर दे रहा है, उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय सभी म्यूनिसिपल / टैक्स / बिजली / पानी / अन्य प्रभार ड्यूटी एवं कर जो भी हों भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी केता की होगी। स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की अदायगी भी केता के द्वारा ही की जायेगी। (6) प्राधिकृत अधिकारी को कोई बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। (7) यदि ऋणी विक्रय की तारीख से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जायेगी। (8) नीलामी का समय उक्तानुसार ही रहेगा। ऋणियों/जमानतदारों को उपरोक्त वर्णित राशि को नियत तिथि तक ब्याज एवं सहायक खर्चों के साथ नीलामी की दिनांक से पूर्व भुगतान करने हेतु, सरफेसी एक्ट 2002 के नियम 8 (6) के तहत सूचित किया जाता है जिसमें चुक होने पर सम्पत्ति नीलाम / बेच दी जायेगी तथा बकाया राशि यदि है तो ब्याज लागत के साथ वसूल की जायेगी। इच्छुक केता संपत्ति व सभी भाग/ देयताएं / दावों/ अधिकारों/ के विषय में दिनांक : 12.10.2023 90221B00039181 एवं दिनांक : 27.09.2023, 90118700000141 - 90118700000451) से पूर्व स्वयं को संतुष्ट कर सकते हैं।